राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या .....2466/2005(75/2001).....जिला.....श्रीगंगानगर.....

उनवान– श्री महावीर पुत्र श्री बृजलाल, जाति–जाट, निवासी–अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर बनाम् राजस्थान सरकार जरिये उप–पंजीयक, खाजूवाला व अन्य।

निगरानी संख्या .....1889/2014.....जिला.....बीकानेर.....

उनवान– श्रीमति विद्या देवी, पत्नि श्री बृजलाल, जाति–जाट, निवासी–16, अनूपगढ़, जरिये–मुख्तयाआम महावीर चौधरी, 1 क्यू–13–14, सद्भावना नगर, श्रीगंगानगर बनाम् राजस्थान सरकार जरिये उप–पंजीयक, खाजूवाला, जिला–बीकानेर व अन्य।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.04.2015	**एकलपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** प्रार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री प्रदीप विश्नोई ने स्वयम् द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, कथन किया कि प्रार्थीगण **राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प.2(6)वित्त/कर/2014–143 दिनांक 16.12.2014** का लाभ लेने हेतु प्रस्तुत निगरानियों को विदड्रा करना चाहता है। विशिष्ट रूप से प्रार्थना पत्रों में अंकित किया गया है कि इस संबंध में कमी मुद्रांक की राशि प्रार्थीगण द्वारा राजकोष में जमा करवा दी गयी हैं। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा ने उपस्थित होकर, इस संबंध में प्रस्तुत निगरानियों को विदड्रा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी। फलस्वरूप, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानियां विदड्रा करने के कारण, प्रस्तुत निगरानियां "सारहीन" हो जाने के कारण खारिज की जाती हैं। 8.4.2015 (मदन लाल) सदस्य	